हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

नवम् सत्र

समाचार भाग-1

संख्याः 88

शुक्रवार, 28 अगस्त, 2015/6 भाद्रपद, 1937(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

<u>समय : 11.00 बजे (पूर्वाह्न)</u>

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

शोकोद्गार :

निम्नलिखित ने श्री राम दास मलांगड़, पूर्व विधान सभा उपाध्यक्ष के निधन पर शोकोद्गार व्यक्त किए :-

(1) माननीय मुख्य मन्त्री
(2) प्रो0 प्रेम कुमार धूमल, नेता प्रतिपक्ष
(3) श्री कुलदीप कुमार
(4) श्री सतपाल सिंह सत्ती
(5) श्री वीरेन्द्र कंवर
(6) श्री रविन्द्र सिंह
(7) श्री राकेश कालिया
(8) श्री जी0एस0 बाली, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मन्त्री
(9) माननीय अध्यक्ष

(दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिए सदन में कुछ क्षण खड़े होकर मौन रखा गया)

11.16.00 AM

1. प्रश्नोत्तरः

(i) तारांकित प्रश्नः

स्थगित तारांकित प्रश्न संख्या 1819, 2111 तथा तारांकित प्रश्न संख्या 2388 से 2394 तक के उत्तरों पर प्रश्न पूछे गए व सम्बन्धित मंत्रियों द्वारा उनके उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 2395 से 2430 तक के उत्तर सम्बन्धित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

(ii) अतारांकित प्रश्नः

अतारांकित प्रश्न संख्या 1033 से 1045 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

12-00 PM

2. कागजात सभा पटल परः

(1) **श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री**, ने निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी :-

(i) जल (प्रदूषण का नियंत्रण एवं निवारण), अधिनियम, 1974 की धारा 40(7) तथा वायु (प्रदूषण का नियन्त्रण एवं निवारण), अधिनियम,1981 की धारा 36(7) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के वार्षिक लेखे वर्ष 2013-14 (विलम्ब के कारणों सहित);

(ii) हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम, 1983 की धारा 12(5) के अन्तर्गत लोकायुक्त, हिमाचल प्रदेश का 28वां वार्षिक संकलित प्रतिवेदन, वर्ष 2014; और

(iii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, वरिष्ठ पर्यावरण अधिकारी, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2015 जोकि अधिसूचना संख्याः एसटीई-बी(3)-6/2010 दिनांक 18-04-2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 20-06-2015 को प्रकाशित।

(2) **श्री सुजान सिंह पठानिया, बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री,** ने निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी :-

(i) संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सरकार अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत विभाग का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2014-15; और

(ii) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटिड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-14.

श्री गोबिन्द सिंह ठाकुर ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि मैंने 20 अगस्त, 2015 को राजकीय महाविद्यालय, संजौली में हुई दुःखद घटना बारे नियम 62 के अन्तर्गत तीन दिन पहले ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का नोटिस दिया था लेकिन अभी तक उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इस पर माननीय अध्यक्ष ने कहा कि आपका नोटिस उत्तर के लिए सरकार को भेजा गया है। जब सरकार से उत्तर आएगा तब मैं उस पर कुछ निर्णय ले सकूंगा।

माननीय अध्यक्ष की बात से संतुष्ट न होकर विपक्ष के माननीय सदस्य नारे लगाते हुए सदन के बीचों-बीच वैल में आ गए।

(**शोरगुल के बीच अपराह्न 12.20 बजे माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन की कार्यवाही 00.15 मिनट के लिए स्थगित की गई**)

(**अपराह्न 12.35 पर सदन की कार्यवाही शोरगुल की बीच माननीय अध्यक्ष श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई**)

3. सदन की समितियों के प्रतिवेदन :

(1) **श्री अजय महाजन, सदस्य, लोक लेखा समिति (वर्ष 2015-16)**, ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(i) समिति के **288वें मूल प्रतिवेदन** (ग्यारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 34वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में निहित सिंफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **योजना विभाग** से सम्बन्धित है;

(ii) समिति के **9वें मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 77वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **आयुर्वेद विभाग** से सम्बन्धित है; और

(iii) समिति का **73वें मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 97वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेतर कार्रवाई विवरण** जोकि **युवा सेवाएं एवं खेल विभाग** से सम्बन्धित है।

(2) **श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक उपक्रम समिति (वर्ष 2015-16)** ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(i) समिति का 45वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 10वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2013-14) में अन्तर्विष्ट सिंफारिशों पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प तथा हथकरघा निगम सीमित** से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति का 46वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 22वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) में अन्तर्विष्ट सिंफारिशों पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् सीमित** से सम्बन्धित है।

(3) **श्री संजय रतन, सदस्य, सामान्य विकास समिति, (वर्ष 2015-16)**, ने समिति के **13वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (वाहरवीं विधान सभा) जोकि समिति के द्वितीय मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा विभाग** से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

(4) **श्रीमती आशा कुमारी, सदस्य, ग्रामीण नियोजन समिति, (वर्ष 2015-16)** ने समिति का **17वां मूल प्रतिवेदन** जोकि **पशु पालन विभाग** से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है कि प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

4. सांविधिक ईकाई हेतु मनोनयन :

श्री जी0एस0 बाली, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मन्त्री, ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया :

"That in pursuance of the under Section 16(1)(j) of The Himachal Pradesh Technical University Act, 2014 (Act No.2 of 2015), The Member of the Himachal Pradesh Legislative Assembly do proceed to elect, in such manner as the Hon'ble Speaker may direct, two members from amongst themselves to serve as the Member of the Board of Governor of Himachal Pradesh Technical University, Hamirpur for as period of three years commencing from the date of first meeting of Board of Governor of the University."

प्रस्ताव स्वीकार।

5. वर्ष 2009-2010 के लिए अनुदानों तथा विनियोगों पर अधिक मांगे :

श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री, ने वित्तीय वर्ष 2009-2010 के लिए अनुदानों तथा विनियोगों पर अधिक मांगों का विवरण प्रस्तुत किया तथा प्रस्ताव किया कि वर्ष 2009-10 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष ने माग संख्या 1,4,5,6,7,8,10,13,14,16,19,23,25,26,27,28,29 और 32 के अन्तर्गत व्यय को निममित करने हेतु राज्यपाल महोदय को अधिक व्यय की गई राशियां सम्बन्धित सेवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से दे दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

मांगें पूर्ण रूप से पारित हुई।

6. विधायी कार्य :

(I) सरकारी विधेयकों की पुरःस्थापना

(i) **श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री ने** प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 14) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 14) पुरःस्थापित हुआ।

(ii) **श्रीमती विद्या स्टोक्स, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश फल पौधशाला रजिस्ट्रीकरण और विनियमन विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 19) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश फल पौधशाला रजिस्ट्रीकरण और विनियमन विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 19) पुरःस्थापित हुआ।

(iii) **श्री कौल सिंह, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश प्राइवेट चिकित्सा शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) संशोधन विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 21) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश प्राइवेट चिकित्सा शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) संशोधन विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 21) पुरःस्थापित हुआ।

(iv) **श्री प्रकाश चौधरी, आबकारी एवं कराधान मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का(संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 17) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का(संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 17) पुरःस्थापित हुआ।

(v) **प्रकाश चौधरी, आबकारी एवं कराधान मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के सड़क वहन पर) कराधान अधिनियम (संशोधन विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 18) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के सड़क वहन पर) कराधान अधिनियम (संशोधन विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 18) पुरःस्थापित हुआ।

(vi) **श्री प्रकाश चौधरी, आबकारी एवं कराधान मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) होटल विलास-वस्तुएं कर (संशोधन विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 20) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) होटल विलास-वस्तुएं कर (संशोधन विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 20) पुरःस्थापित हुआ।

(II) सरकारी विधेयकों पर विचार-विमर्श एवं पारण

(i) **श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 14) पर विचार किया जाए।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।

अनुसूची विधेयक का अंग बनी।

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

माननीय मुख्य मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 14) को परित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 14) पारित हुआ।

(ii) **श्री कौल सिंह, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश अधिवक्ताओं के क्लर्कों की कल्याण निधि विधेयक, 2015(2015 का विधेयक संख्यांक 15) पर विचार किया जाए।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 से 25 तक विधेयक का अंग बने।

अनुसूची विधेयक का अंग बनी।

खण्ड 1 , संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश अधिवक्ताओं के क्लर्कों की कल्याण निधि विधेयक, 2015(2015 का विधेयक संख्यांक 15) को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

हिमाचल प्रदेश अधिवक्ताओं के क्लर्कों की कल्याण निधि विधेयक, 2015(2015 का विधेयक संख्यांक 15) पारित हुआ।

(iii) **श्री सुजान सिंह पठानिया, बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश कृषि,औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2015(2015 का विधेयक संख्यांक 16) पर विचार किया जाए।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 विधेयक का अंग बना।

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

माननीय बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश कृषि,औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2015(2015 का विधेयक संख्यांक 16) को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

हिमाचल प्रदेश कृषि,औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2015(2015 का विधेयक संख्यांक 16) पारित हुआ।

सरकारी संकल्प :

माननीय मुख्य मन्त्री ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया एवं वक्तव्य दिया :-

यह सदन संकल्प करता है कि हिमाचल प्रदेश की माननीय उच्च न्यायालय से अनुरोध किया जाए कि प्रदेश में सरकारी भूमि पर छोटे कब्ज़ाधारकों के विरूद्ध कार्रवाई को कुछ समय के लिए स्थगित किया जाए ताकि इस विषय पर सरकार द्वारा उचित नीति बनाकर कानूनी व मानवीय दृष्टिकोण को मद्धेनज़र रखते हुए समस्या का उचित समाधान किया जा सके।

संकल्प स्वीकृत हुआ।

7. नियम-324 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख :

नियम 324 के अन्तर्गत कुल 10 विषय लगे थे लेकिन माननीय सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण उनके विषय सदन में नहीं रखे गए। सर्वश्री राम कुमार व कुलदीप कुमार, माननीय सदस्यों की ओर से नियम 324 के अन्तर्गत विषय उठाए गए समझे गए तथा सम्बन्धित मंत्रियों द्वारा उनके उत्तर दिए गए समझे गए।

माननीय सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण नियम 63 और नियम 130 के अन्तर्गत विषय चर्चा हेतु नहीं रखे गए।

माननीय मुख्य मन्त्री ने रक्षा-बंधन के अवसर पर प्रदेश की महिलाओं को हार्दिक शुभकामनाएं दी।

(सदन की बैठक अपराह्न 01.15 बजे सोमवार, दिनांक 31 अगस्त, 2015 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक स्थगित हुई)